नीति अभिधारणा-

जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि भूकंप तथा बरसात में होने वाले भूस्खलन, अतिवृष्टि, बाढ़, महामारी अथवा अन्य आकस्मिक घटनाओं से यथा समय से वचाव करने हेतु पूर्व तैंयारी जरूरी है। पूर्व तैंयारी से काफी हद तक होने वाली हानि से वचा जा सकता है। जिलाअधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि विगत वर्षों की भांति तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारियों को सतर्क किया जाये कि वे अपने क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी आपदा स्थिति से होने वाली क्षतियों के प्रति जागरूक रहें। जब भी कोई स्थिति सामने आती है अथवा आने की सम्भावना हो उसकी सूचना अविलम्ब कन्ट्रोल रूम को देंगे। इसके साथ ही कपकोट में एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष नं0 253064 होगा। सूचना के आदान प्रदान हेतु पुलिस विभाग, वन विभाग तथा राजस्व विभाग एवं अल्मोड़ा मैग्नेसाइट के वायरलैस सेटों का प्रयोग किया जा सकता है। सम्भावित विभागों से आशा की गयी है कि वे अपना पूर्ण सहयोग देंगे। कन्ट्रोल रूम में आने वाली किसी भी आपदा की सूचना जिला अधिकारी भी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये। तहसील कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 220003 है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सूचित किया गया है कि कपकोट, काण्डा,बैजनाथ, झिरौली, कौसानी एवं बागेश्वर में पुलिस विभाग के कई वायरलैस सेट स्थापित हैं तथा इसी प्रकार वन विभाग के भी कौसानी, बागेश्वर, काण्डा, कपकोट, झिरौली और गढ़खेत में स्थायी सैट लगे हैं। वन विभाग के कुल 22 सेट ग्रामीण अंचलों में लगे हैं। वर्षा ऋतु में सभी सेट कार्यशील रहेंगे तथा किसी भी आपदा की सूचना तुरन्त कन्ट्रोल रूम को प्रेषित करेंगे।

अतिमहत्वपूर्ण

आपदा पूर्व निकास के दौरान–

1–सम्पूर्ण सुरक्षा एवं कानून ब्यवस्था को ध्यान में रखते हुये आपदा पूर्व निकास जनप्रतिनिधियों एवं स्वंयसेवी संगठनों की सहायता से एक साथ किया जायेगा।

2–यातायात के अपर्याप्त साधन होने की दशा में एवं अन्य कोई घटना घटित ना हो इस लिये सबसे पहले गम्भीर बीमार लोगों को, उसके बाद बच्चे, महिलायें एवं अपंग लोगों को तथा बाद में बूढ़े लोगों को निकाला जायेगा।

3–किसी भी आपातकालीन निकासी के दौरान प्रत्येक परिवार अपने साथ 2 से 3 दिन का पानी, खाना, कपड़े, पहचान पत्र, महत्वपूर्ण कागजात, डायरी तथा अन्य सामान रखे ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

4–घर छोड़ने से पूर्व प्रत्येक ब्यक्ति मुख्य स्विच से पानी, गैस एवं विजली बंद करे, ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

आपदा के दौरान–

1–प्रत्येक ब्यक्ति संयम एवं धैर्य रखे।

2–प्रत्येक ब्यक्ति सुरक्षित स्थान में रहे एवं चोटों से स्वंय को वचाये।

3–टूटी तथा खतरनाक इमारतों में प्रवेश ना करे।

4–विजली के पोलों एवं तारों को ना छुऐ।

5–टेलीफोन का इस्तेमाल फालतू ना करे।

6–घायलों का ध्यान रखे किन्तु उन्हें हिलाये नहीं।

7–प्राथमिक उपचार करे।

8–राहत कार्यों में बाधा ना डाले।

सहायता एवं पुर्नवास के दौरान–

किसी भी आपदा के पश्चात समुदाय आधात की स्थिति में होता है। इसलिये आघात की स्थिति से उबरने के लिये राहत एवं पुनर्वास के दौरान समुदाय के प्रत्येक ब्यक्ति की भागीदारी हो ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

चेतावनी पर अनुक्रिया कार्ययोजना–

1–अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर को निर्देशित किया गया है कि जहां वाढ़ सुरक्षा कार्यों का निर्माण किया जा रहा है उन्हें पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण कर लिया जाये। विभागीय वर्षामापी यन्त्र जो बागेश्वर, कपकोट तथा गरूड़ में लगे हुऐ हैं उन्हें सही दिशा में रखते हुऐ प्रतिदिन वर्षा का माप रखा जाये। गरूड़ तथा बागेश्वर के रेन गेज तहसील बागेश्वर तथा कपकोट के रेन गेज प्रतिदिन कपकोट तहसील को प्रेषित किये जायें और इसके अतिरिक्त प्रतिदिन नदियों के गेज भी उपलब्ध कराये जायें।

सिंचाई विभाग द्वारा सभी संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर लिया जाये। बाढ़ भूमि कटाव निरोघक कार्यों हेतु आवश्यक सामग्री एवं क्षतिग्रस्त स्थल की मरम्मत हेतु आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जायें। 15 जून से 15 अक्टूबर

तक सिंचाई खण्ड बागेश्वर मे एक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की जायेगी जिसका दूरभाष नं0 220008 होगा तथा इसी के साथ किसी भी दैवीय आपदा की सूचना 220020 पर भी दी जा सकती है।

कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, बागेश्वर

2– जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्व में सभी खाद्यान्न भण्डारों में आवश्यक बस्तु जैसे–गेहूं,चावल, मिट्टी का तेल एवं अन्य आवश्यक सामग्री का भण्डार आवश्यकता के अनुसार करवा लें। ऐसे क्षेत्र जहां बरसात में जाना कठिन हो उस क्षेत्र के निवासियों हेतु आवश्यक बस्तुओं का भण्डार उसी क्षेत्र में आवश्यकतानुसार रखवाना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही जिलापूर्ति अधिकारी, बागेश्वर

3–लोक निर्माण विभाग को इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि बरसात में किसी भी आपदा के निदान हेतु यातायात सुचारू रूप से चले यह अति आवश्यक है। जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि बरसात में यातायात पपर यथा सम्भव किसी भी प्रकार की कठिनाई न होने पाये, ऐसे स्थान जहां यातायात अवरूद्ध होने की सम्भावना हो वहां पर आवश्यक मजदूर एवं वांछित सामग्री पूर्व से तैंयार रखी जाये। यह भी तय हुआ है कि लोक निर्माण विभाग सड़क के आसपास की नाली की पूर्ण सफाई कर लें। जो डोजर विभाग के पास उपलब्ध हो उसे तत्काल ठीक करवा लिया जाये तथा लोक निर्माण विभाग वर्षा वर्षा से पूर्व कलमटों की सफाई करवाना भी सुनिश्चित करे।

कार्यवाही लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

4–ग्रामीण भागों में अतिवृष्टि से काफी हानि हो रही है। छोटी–छोटी नदियों एवं गधेरों से काफी क्षति होने की सम्भावना रहती है। अतः भूमि संरक्षण विभाग तदनुसार एक्शन प्लान बनाकर यह सुनिश्चित करे कि बरसात में यथासम्भव ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम क्षति हा, ऐसी ब्यवस्था पूर्व में कर ली जाये।

कार्यवाही सहायक निदेशक जलागम, बागेश्वर

5–सूचना विभाग एवं दूरसंचार विभाग का सूचनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण येागदान रहता है। अतः दूरसंचार विभाग यह सुनिश्चित करे कि बरसात में टेलीफोन यथासम्भव ठीक रहे। क्षतिग्रस्त लाइनों की वैकल्पिक ब्यवस्था पूर्व में कर ली जाये।

कार्यवाही दूरसंचार विभाग, बागेश्वर

6– मुख्य चिकित्साधिकारी/उप मुख्यचिकित्साधिकरी मानसून से पूर्व सभी चिकित्सालयों में आवश्यक दवाओं का पूर्ण भण्डारण करवाना सुनिश्चित करें। हर दशा में बरसात में होने वाली बीमारी आदि की दवाईयां प्रत्येक चिकित्सालय में पहुंचाना सुनिश्चित कर लें तथा इस सम्बन्ध में एक एक्शन प्लाल भी तैंयार कर लें।

कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर

7–अधिशासी अभियन्ता जल निगम तथा जल संस्थान अतिवृष्टि से पूर्व अपने क्षेत्र के क्षतिग्रस्त पेयजल पाइप लाइनों की आवश्यक मरम्मत कराना सुनिश्चित करवायें ताकि पेयजल के अभाव में जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, बरसात में गन्दा पानी आने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों के होने की आशंका रहती है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जनता को प्रत्येक दशा में स्वच्छ एवं दोषमुक्त पानी पीने को मिले। सैडिमैन्टेशन/फिल्ट्रेशन टैंक जहां उपलब्ध हो वहां उनकी सफाई वर्षाकाल से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें। क्लोरिकेशन आदि की ब्यवस्था पूर्व से करवा ली जाये ताकि पानी से फैलने वाली बीमारियों से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके।

कार्यवाही जल निगम/जल संस्थान, बागेश्वर

8–अतिवृष्टि से स्थिति कभी–कभी इतनी गम्भीर हो जाती है कि जिला प्रशासन को मौके पर पीड़ित ब्यक्ति को राहत पहुंचाने में समय लग जाता है। अतः ऐसी आशंका से प्रत्येक पटवारी अपने क्ष्उोत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा की सूचना अतिशीघ्र कन्ट्रोल रूम को देना सुनिश्चित करें। जहां भी क्षति की आशंका रहती है उसे

चिन्हित कर सम्बन्धित भवन स्वामियों को भी सतर्क कर दिया जाये। इस हेतु समस्त तहसीलदार अपने स्तर से निर्देश जारी कर दें।

कार्यवाही राजस्व विभाग, बागेश्वर

9–परगनाधिकारी/तहसीलदारा, भू–स्खलन, बाढ़ तथा अन्य दैवीय आपदा से सम्बन्धित स्थिति से उस क्षेत्र के निवासियों को सतर्क करते हुये उन्हें सुरक्षित स्थानो ं में पहुंचाने हेतु पूर्व से प्रस्तावित योजना तैंयार कर लें। बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक से अनुरोध किया जाता है कि आवश्यकता होने पर विभागीय विद्यालय भवन निराश्रित परिवार आदि को बसाने हेतु मांग होने पर यथासम्भव शीघ्र ही उपलब्ध करा दें। क्षेत्र में बाढ़, अतिवृष्टि, भू–स्खलन, भूकम्प आदि दैवीय आपदाग्रस्त परिवारों को नियमानुसार तत्काल अनुदान राजस्व विभाग सुनिश्चित करेगा।

कार्यवाही राजस्व विभाग/शिक्षा विभाग

10–कृषि अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बरसात में फसलों को लगने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु तो भी आवश्यक दवाइयां हो उनकी यथा सम्भव ब्यवस्था कर ली जाये। जिला अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि इस सम्बन्ध में आवश्क योजना तैंयार कर ली जाये तथा वांछित दवायें सम्बन्धित स्थानों पर पहुंचाना सुनिश्चित किया जाये।

कार्यवाही कृषि विभाग, बागेश्वर

11–जिला पशुधन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बरसात में पशुओं में होने वाली बीमारियों की आवश्यक दवाइयां भी सभी राहत केन्द्रों में पहुंचा दी जाये और विभाग पूर्ण रूप से इस हेतु सतर्क रहे।

कार्यवाही पशुधन अधिकारी,बागेश्वर

12–विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि दैवीय आपदा में विद्युत ब्यवस्था में आये ब्यवधान का अतिशीघ्र निदान किया जाना चाहिये तथा क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों से जान माल को कोई क्षति न हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये।यदि कोई पोल या तार गिरता है तो इसे ठीक करने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। उरेड़ा से सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि दैवीय आपदा के समय सौरऊर्जा लालटेन प्रकाश हेतु उपलब्ध करवायें।

कार्यवाही, विद्युत विभाग/उरेडा

13–यातायात विभाग से उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वर्षाऋतु में सड़क सम्पर्क भंग होने पर आवागमन सुनिश्चित करवायें और आवश्यकतानुसार समय पर ट्रान्समेन्टेशन की ब्यवस्था भी करें।

कार्यवाही, के0एम0ओ0यू0लि0/रोडवेज

भूकंम्प

नीति अभिधारणा–

भूकम्प का प्रभाव काफी बड़े क्षेत्र में लम्बे समय तक रहता है। इस लिये इसके प्रबन्ध हेतु ज्यादा संसाधनों की तथा कई ऐजेन्सियों तथा उनके आपस में सामंजस्य की अधिक आवश्यकता होती है। इसमें आपातकालीन परिचालन समूह से अतिरिक्त धन, आपातकालीन आपूर्ति एवं खोज एवं वचाच हेतु अधिक मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है।

प्रमुख ऐजेन्सियां–

1– भूकम्प के प्रबन्ध हेतु प्रमुख संस्थायें, ***राजस्व, अग्निशमन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग*** हैं।

2– भवन तथा अन्य संरचना के अत्यधिक नुकसान के कारण पुर्नसंरचना हेतु ***संचार, विद्युत विभाग*** तथा ***लो0नि0वि0*** कार्य करेगे।

3– भूकम्प के कारण भूस्खलन तथा महामारी की भी सम्भावना रहती है, इसलिये ***स्वास्थ्य, सिंचाई*** एंव ***भूमि संरक्षण विभाग*** भी कार्य करेगें।

4 दुर्धटना स्थल पर राहत दलो के साथ ग्राम आपदा प्रबंध कार्यदल कार्य करेंगे।

सम्भावित प्रभाव–

भूकम्प का प्रभाव शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों की बनावट, प्रकार तथा गुणवत्ता एवं अन्य सेवाओं के कारण अलग अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों एएवं अन्य संरचना जैसे–सिंचाई आदि का अत्यधिक नुकसान होता है, जबकि शहरों में मकान तथा अन्य संरचना के साथ–साथ अन्य सेवाओं जैसे–संचार,विद्युत,जल आदि के कारण अधिक नुकसान होता है।

ब्यक्तिगत प्रभाव–

1–जान माल का नुकसान
2–घायल
3–परिवार का विखरना

सामूहिक प्रयास–

1–मकान
2–सड़कें
3–पुल
4–विद्युत
5–जल
6–शीवर लाइन
7–भूमिगत केविल

अनुकिया–

1–जिला परिचालन केन्द्र को सकिय कर स्थल परिचलन केन्द्र तथा राहत शिविरों की स्थापना की जाये।

2–घायलों को तुरन्त इलाज एवं मलवे में दवे हुये लोगों को उपकरणों एवं खोज बचाव दलों की सहायता से निकाला जायेगा।

3–खोज एवं वचाव कार्य में खोज एवं वचावदल, पुलिस तथा अग्निशमन के विशेषज्ञों की सहायता ली जायेगी।

4–टूटे मकानों, पुलों, सड़कों, विद्युत, जल तथा अन्य संरचना का तकनीकी सर्वे कर मरम्मत कार्य तुरन्त शुरू किया जायेगा।

5–पुनः स्थापना हेतु नये स्थानों का चयन किया जायेगा।

<u>भूस्खलन एवं त्वरित वाढ़</u>

नीति अभिधारणा–

भूस्खलन चेतावनी देकर आते हैं जबकि त्वरित बाढ़ विना चेतावनी देकर आती है। इनके प्रबन्ध हेतु उच्च स्तर पर अतयधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।

<u>प्रमुख ऐजेन्सियां</u>–

1–इनके प्रबन्ध हेतु ***राजस्व, लो0नि0वि0, सिंचाई, अग्निशमन*** तथा ***स्वास्थ्य विभाग*** प्रमुख ऐजेन्सियां हैं।

2–इन आपदाओं के कारण जन सेवाओं की अत्यधिक हानि होती है इसलिये ***विद्युत एवं संचार*** विभाग उप विभाग के रूप में कार्य करेंगी।

3–फसलों एवं पशुधन की हानि को ***कृषि विभाग एवं पशुपालन विभाग*** देखेगा।

4–इन आपदाओं के प्रबन्ध हेतु आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र/ राज्य परिचालन केन्द्र की सहायता आवश्यक है।

<u>सम्भावित प्रभाव</u>–

व्यक्तिगत– 1–मानव हानि
2–घायल

<u>सामुहिक प्रभाव</u>–

1–मकान
2–पशुधन
3–फसलें
4–भूमि
5–सड़कें एवं रेल
6–डैम
7–पुल
8–विद़्युत
9–जल
10–शीवर लाइन
11–भूमिगत केविल

<u>अनुक्रिया</u>–

1–जिला परिचालन केन्द्र को सक्रिय कर स्थल परिचालन केन्द्र तथा राहत शिविरों की स्थापना की जायेगी।

2–घायलों को तुरन्त इलाज एवं मलवे में दवे हुये लोगों को उपकरणों एवं खोजी कुत्तों की सहायता से निकाला जायेगा।

3–खोज एवं वचाव कार्य में खोज एवं वचावदल, पुलिस तथा अग्निशमन के विशेषज्ञों की सहायता ली जायेगी।

4–टूटे मकानों, पुलों, सड़कों, विद्युत, जल तथा अन्य संरचना का तकनीकी सर्वे कर मरम्मत कार्य तुरन्त शुरू किया जायेगा।

5–पुनः स्थापना हेतु नये स्थानों का चयन किया जायेगा।

6–महामारी न फैले इसके लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जायेगी।

7–भूमि एवं पशुधन की हानि को दूर करने हेतु दीर्घकालिक योजना बनाई जायेगी।

<u>सड़क मार्ग दुर्घटनाऐं</u>

<u>नीति अभिधारणा</u>–

1–सड़क मार्ग दुर्घटनाऐं स्थानीय स्तर पर होती हैं।

2–इसलिये अनुक्रिया हेतु स्थानीय स्तर पर तैंयारी की आवश्यकता होती है।

3–दुर्घटना के समय अगर ज्वलनशील पदार्थ या जहरीली बस्तु शामिल है तो स्थानीय लोगों को अन्यत्र कहीं थोड़े समय के लिये हटाया जा सकता है।

<u>प्रमुख एजेन्सियां</u>–

1–इसके प्रबन्ध हेतु प्रमुख ऐजेन्सियां ***पुलिस एवं क्षेत्रीय यातायात*** विभाग है।
2–बड़ी दुर्घटना के समय इन ऐजेन्सियों के अलावा ***अग्निशमन एवं स्वास्थ्य विभाग*** की सेवायें भी ली जा सकती हैं।

सम्भावित प्रभाव–

व्यक्तिगत–

1–मानव हानि
2–आघात
3–जलना
4–घायल

सामूहिक –

1–वाहनों का दुर्घटनाग्रस्त होना
2–सामान का नष्ट होना

अनुक्रिया–

1–दुर्घटना के उपरान्त हड्डी विशेषज्ञ एवं सर्जन की सेवायें ली जायेंगी।
2–वाहन में फंसे लोगों को निकालने हेतु मैटल कटर की आवश्यकता होगी।
3–बाहन अगर ज्वलनशील पदार्थ या जहरीली बस्तु ले जा रहा है तो दुर्घटना के उपरान्त अग्निशमन एवं सेना के विशेषज्ञों की सेवायें ली जायेंगी।
4–वाहन अगर दुर्घटना के उपरान्त नदी में गिर गया है तो गोताखोरों की सहायता ली जायेगी।
5–रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ से प्रभावित लोगों के लिये विशेष उपचार की ब्यवस्था की जायेगी।
6–राहत कार्यों में अनावश्यक देरी ना हो इसलियें दुर्घटना के उपरान्त हानि का आंकलन तुरन्त किया जायेगा।

<u>अग्निकाण्ड</u>

<u>प्रमुख एजेन्सियां–</u>

1–इन घटनाओं में मुख्यतः ***अग्निशमन, स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग*** द्वारा कार्य किया जायेगा।

2–बड़े अग्निकाण्ड में अग्निशमन विभाग द्वारा ***पॉवर कॉपोरेशन एव जल संस्थान*** की सहायता ली जायेगी।

<u>सम्भावित प्रयास–</u>

1–मकानों का जलना

2–सम्पत्ति का नष्ट होना

3–घायल

4–मानव हानि

<u>अनुकिया–</u>

1–गम्भीरता से जले लोगों को तुरन्त हस्पताल में ले जाया जायेगा।

2–जहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है वहां अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों द्वारा खोज वचाव कार्य एवं अग्नि पर काबू पाया जायेगा।

3–दुर्घटना के कारण हुई हानि का आंकलन तुरन्त किया जायेगा।

4–परिवारों के विछड़ने की दशा में दुर्घटनास्थल पर सूचनाकेन्द्र खोले जायेंगे।

5–दुर्घटना के कारण बाधित हुई सेवाओं जैसे– जल,विद्युत, संचार एवं अन्य को तुरन्त बहाल किया जायेगा।

6–दुर्घटना स्थल के आसपास कानून ब्यवस्था बनाई जायेगी जिससे राहत कार्यों में कोई ब्यवधान उत्पन्न ना हो।

जनपद के महत्वपूर्ण स्थानों के अक्षांश एवं देशान्तर

स्थान	अक्षांश एंव देशांतर	विकास खंड
1 दुलम	30 0 6 N, 79 55 19 E	कपकोट
2.चौडास्थल	30 1 57 N, 79 56 1 E	
3.गुलेर	29 56 26N, 79 57 39 E	
4.झूनी	30 6 41 N, 79 59 14 E	
5.खाती	30 6 38 N, 79 56 25 E	
6.लीती	30 0 55 N, 80 1 55 E	
7.कर्मी	30 0 55 N, 79 53 47 E	
8.नामतीचेटाबगड	29 55 17 N, 80 5 5 E	
9.बधर	30 2 4 N, 79 50 41E	
10.सूपी	30 4 27 N, 79 58 15E	
11.बदियाकोट	30 6 41 N, 79 50 55E	
12.लोहारखेत	32 2 20 N, 79 57 6 E	
13.शामा	29 58 30 N, 80 1 19 E	
14.माजखेत	29 55 32 N, 80 3 40 E	
15.कांडा	29 49 31 N, 79 5 43 E	बागेश्वर
16.सीरकोट	29 58 1 N, 79 34 44E	गरूड
17.डंगोली	29 55 50 N, 79 37 0E	
18.वज्यूला (रोडसाइड)	29 57 12 N, 79 37 39E	
19.वज्यूला (अंदर)	29 57 8 N, 79 38 35E	

<u>अन्य जनपदों में स्थित अर्धसैनिक बल</u>

1–सीमा सड़क संगठन (बी.आर. ओ.)
गोचर (चमोली)

फोन– 01363–240605, 240612

2–भारत तिब्बत सीमा पुलिस
गोचर (चमोली)

फोन– 01363–224626, 224627

3–एस.एस.बी.
श्रीनगर

फोन–***01346–252119, 252148***

4–पी.ए.सी. सर्च एवं रेस्क्यू वाहिनी
हरिद्वार

फोन–***01334–2452986***

5–भारत तिब्बत सीमा पुलिस
जाजरदेवल (पिथौरागढ़)

फोन–05964–

खोज एवं वचाव सदस्य (स्वंयसेंवीसंस्था)
विकासखण्ड– कपकोट, गरूड़ एवं बागेश्वर
जनपद– बागेश्वर

क्रम संख्या	नाम	पता	फोन
1–	श्री मेहरवान सिंह कोरंगा	नौकोड़ी, पो.औ.–हरसिंग्यिाबगड़, कपकोट बागेश्वर	–
2–	श्री धीरेन्द्र सिंह महरा	कठायतवाड़ा बागेश्वर	9411306762
3–	श्री राजेन्द्र सिंह कोरंगा	ग्राम–दुलम,पे.औ.नाचनी, बागेश्वर	–
4–	श्री कैलाश जोशी	ग्राम/पो.औ.–पोथिंग,कपकोट, बागेश्वर	–
5–	श्री सुरेश जोशी	ग्राम–भून,पो.औ.–कपकोट, बागेश्वर	253159
6–	श्री नवल किशोर पाण्डे	ग्राम–शिली, पो.औ. बैजनाथ, गरूड़, बागेश्वर	
7–	कु. ममता खोलिया	ग्राम–शिली, पो.औ. बैजनाथ (एल. सी.एम.) गरूड़, बागेश्वर	250216(PP)
8–	कु. कमला पन्त	ग्राम चौंरसो पो. डंगोली गरूड	
9–	कु. दीपा पंचपाल	ग्राम–गरसर, पो.औ. बैजनाथ, गरूड़, बागेश्वर	250214
10–	श्री भुवन चन्द्र पाण्डे	ग्राम–शिली, पो.औ. बैजनाथ, गरूड़	–
11–	श्री पंकज खोलिया	लोक चेतना मंच, गरूड़	250051,250390
12–	श्री रमेशचन्द्र खोलिया	ग्राम–शिली, पो.औ. बैजनाथ, गरूड़	250051
13–	श्री मनोज कुमार पाण्डे	हिल वेलफियर सोसायटी	250115, 250091
14–	श्री नरी नाथ	ग्राम–हरबागर,पो.औ. बन्तोली, गरूड़, बागेश्वर	–
15–	कु. हीरा रानी टम्टा	ग्राम–शिली, पो.औ. बैजनाथ, गरूड़, बागेश्वर	250051
16–	श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट	लोक चेतना मंच, गरूड़	250051
17–	कु. रेनू जोशी	ग्राम–गरसर, पो.औ. गरूड़, बागेश्वर	250601
18–	श्री नवीन चन्द्र	ग्राम–शिली,पो.औ. बैजनाथ, गरूड़	250216
19–	श्री नवीनचन्द्र खोलिया	ग्राम–शिली,पो.औ. बैजनाथ, गरूड़	250216
20–	श्री बलवन्त सिंह कोरंगा	ग्राम–दुलम,पो.औ. बागेश्वर, बागेश्वर	–
21–	श्री कुन्दन सिंह दानू	ग्राम–कर्मी पो.औ. कपकोट, बागेश्वर	–
22–	श्री दयाल सिंह कर्मियाल	ग्राम–कर्मी पो.औ. कपकोट, बागेश्वर	–
23–	श्री देवेन्द्र सिंह दानू	ग्राम–कर्मी पो.औ. कपकोट, बागेश्वर	–

खोज एंव बचाव दल (होमगार्डस एंव पी.आर.डी.)
जनपद बागेश्वर

क्रम	नाम	पिता का नाम	पता	आयु	तहसील	सेवा संस्था
1	श्री कूंदन सिंह **(दल नायक)**	श्रीदिवान सिंह	ग्रा. फरसाली, पो.- कूरोली	33	कपकोट	1657हो.गा.
2	,, दिवान सिंह	,,जम्मन सिंह	ग्रा. नान, पो.- कन्यालीकोट	34	,,	1660 ,,
3	,, प्रताप राम	,, पनीराम	ग्रा. तिमलाबगड, पो. - कपकोट	32	,,	1665 ,,
4	,, सुंदर सिंह	,, धनसिंह	ग्रा. धन्याडी, पो. - शामा	33	,,	1670 ,,
5	,, गंगा सिंह	,, नरसिंह	ग्रा. चिराबगड, पो.- कपकोट	34	,,	1677 ,,
6	,, कूंदन लाल	चंद्रराम	ग्रा. एंव पो.- कपकोट	35	,,	1678 ,,
7	,, सुरेश राम	श्री बची राम	ग्रा. एंव पो. मडंलसेरा, तोक बानरी	34	बागेश्वर	1605 ,,
8	,, महेश राम	,, फकीर राम	ग्रा.-मंडलसेंरा (सूरजकुंड)	33	,,	1608 ,,
9	,, आंनद राम	,, मोहन राम	ग्रा. पेलिंग, पो.- कपकोट	32	,,	1615 ,,
10	,, महेश राम	,, दिवान राम	ग्रा. मंडलसेरा, तोक - धोलानी	33	,,	1621 ,,
11	,, जय प्रकाश **(दल नायक)**	,,श्यामबिहारी	ग्रा. एंव पो.- बिलौना	34	,,	1627 ,,
12	,, गोकुल प्रसाद	,, मनोहरराम	ग्रा. एंव पो.- मंडलसेरा	34	,,	1625 ,,
13	,, विपिन चंद्र बिष्ट **(दल नायक)**	,, मोहन बिष्ट	मटेना, पो.- मटेना	31	गरूड	पी.आर.डी.
14	,, हरिश्चंद्र फुलारा	,, बालादत	मनोडा, पो.- गागरीगोल	28	,,	,,
15	,, शंकर सिंह	,, रण्जीतसिंह	पर्यॉ,पो.- भिलकोट	33	,,	,,
16	,, प्रमोद कुमार	,, देवराम	छटिया, पो.- डंगोली	30	,,	,,

17	,, दयाल पुरी	,, केदार पुरी	मजकोट, पो.- रतिसेरा	33	,,	,,
18	,, गोपाल पुरी	,, तिल पुरी	गैरलेख, पो.- पिंगलो	34	,,	,,
19	,, शिव गिरी	,, धरम गिरि	सिंलगतोली, पो. - बंतोली	31	,,	,,
20	,, बिंदेश्वरी	,, भैरव दत्त	मटेना, पो.- मटेना	30	,,	,,

जनपद बागेश्वर एवं अन्य जनपदों के खोज एवं बचाव में प्रशिक्षित सदस्य–

क0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	फोन नं0
1	श्री सुशील प्रसाद सेमवाल	श्री विरजी प्रसाद सेमवाल	ग्राम / पो0 टंगणी, जोशीमठ,चमोली	01389–227237
2	श्री विक्रम सिंह पंवार	श्री पूरन सिंह पंवार	ग्राम / पो0 टंगणी, जोशीमठ,चमोली	01389–227233
3	श्री गिरीश चन्द्र भट्ट	श्री चंपक प्रसाद भट्ट	ग्राम / पो0 टंगणी, जोशीमठ,चमोली	–
4	श्री पवन प्रसाद डिगरी	श्री मनसा डिगरी	ग्राम / पो0 टंगणी, जोशीमठ,चमोली	–
5	श्री		ग्राम / पो0 टंगणी, जोशीमठ,चमोली	–
6	श्री जय प्रकाश	श्री चैत राम	ग्राम–रविग्राम,पो0 फाटा,ऊखीमठ,रूद्रप्रयाग	01364–205285
7	श्री ललितचन्द्र जमलोकी	श्री आदित्य राम	ग्राम–रविग्राम,पो0 फाटा,ऊखीमठ,रूद्रप्रयाग	01364–265248
8	श्री महावीर प्रसाद सेमवाल	श्री लोकानन्द	ग्राम–ब्यूंग,पो0 देवीधार ऊखीमठ,रूद्रप्रयाग	01364–265259
9	श्री राजेश मोहन राणा	श्री शेर सिंह राणा	ग्राम–जामू, पो0 फाटा,ऊखीमठ,रूद्रप्रयाग	01364–265248
10	श्री कमलेश जन्थवाल		ग्राम–जामू, पो0 फाटा,ऊखीमठ,रूद्रप्रयाग	01364–265310
11	श्री चन्दन सिंह करमियाल	श्री खुशाल सिंह	ग्राम–कर्मी, पो0–कपकोट,**बागेश्वर**	–

12	श्री भूपाल सिंह दानू	श्री रूप सिंह दानू	ग्राम–कर्मी, पो0–कपकोट,**बागेश्वर**	–
13	श्री प्रकाश सिंह	श्री	ग्राम–कर्मी, पो0–कपकोट,**बागेश्वर**	–
14	श्री गोविन्द सिंह दानू	श्री भूप सिंह दानू	ग्राम–कर्मी, पो0–कपकोट,**बागेश्वर**	–
15	श्री तारा सिंह	श्री बालक सिंह	ग्राम–कर्मी, पो0–कपकोट,**बागेश्वर**	–
16	श्री रूद्र सिंह			
17	श्री दुर्गा सिंह			
18	श्री कुन्दन सिंह	श्री		
19	श्री महेन्द्र सिंह	श्री नारायण सिंह		
20	श्री कुन्दन सिंह	श्री धाम सिंह		
21	श्री सुमित जोशी	–	**डी.पी.ओ. पिथौरागढ़**	**मो. 9412084 कार्या. 15964–226326**
22	डा0 अनिल शर्मा	–	**डी.पी.ओ. चमोली**	**मो. 9412085505 कार्या. 01372–251077**
23	डा0पी.डी. माथुर	–	**डी.पी.ओ. बागेश्वर**	**मो. 9412084736 कार्या. 220197, 220763**
24	श्री आर.एस.राणा	–	**डी.पी.ओ. रूद्रप्रयाग**	**मो. 9412079945 कार्या. 01364–233185**

<u>सम्पर्क फोन नं0</u>– श्री प्रताप सिंह कठायत, ग्रामप्रधान कर्मी – मो. 9412094522

<u>सम्पर्क फोन नं0</u>– श्री राजेन्द्र सिंह रावत, ग्रामप्रधान मुनस्यारी, फोन नं0 05961–222630

<u>सम्पर्क फोन नं0</u>– श्री रूद्र सिंह भाकुनी,ग्राम मक्वालबारा,मुनस्यारी, फोन नं0–05961–222579

खोज एवं बचाव सदस्य

पुलिस अधिकारी/कर्मचारी, बागेश्वर

क्रम संख्या	नाम	पता
1—	हे0 का0 19 रा0पु0 रवीन्द्र प्रसाद	बागेश्वर
2—	हे0 का0 19 रा0पु0 दयाचन्द्र	बागेश्वर
3—	फायरमैन सुबरन सिंह	बागेश्वर
4—	का0 34 ना0पु0 बसन्त सिंह	बागेश्वर
5—	का0 63 ना0पु0 विपिन सिंह	बागेश्वर
6—	का0 203 ना0पु0 आनन्द कुमार	बागेश्वर
7—	का0 97 ना0पु0 उदयवीर सिंह	बागेश्वर
8—	का0 5 ना0पु0 कैलाश रामदयाल	बागेश्वर
9—	का0 252 ना0पु0 जीवन चन्द्र	बागेश्वर
10—	का0 81 ना0पु0 राजेन्द्र सिराड़ी	बागेश्वर
11—	म0का0 75 ना0पु0 रूकमणी चन्द	बागेश्वर
12—	म0का0 106 ना0पु0 उमा आर्या	बागेश्वर
13—	म0का0 113 ना0पु0 भगवती विष्ट	बागेश्वर
14—	म0का0 114 ना0पु0 निर्मला	बागेश्वर

खोज एवं वचाव सदस्य

फायर सर्विस अधिकारी/कर्मचारी

क्रम संख्या	फायर सर्विस अधिकारी/ कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पता
1—	श्री मधुसूदन शर्मा	श्री गोवर्धन	एफ.एस.ओ. हरिद्वार
2—	श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा	श्री गणेश	एफ.एस.ओ. टिहरी गड़वाल
3—	श्री किशोर उपाध्याय	श्री नारायण दत्त	फायर सर्विस, चालक नैनीताल
4—	श्री गोविन्द राम	स्र्व श्री नरी राम	लीडिंग फायर मैन,उधम सिंह नगर
5—	श्री रणवीर सिंह	श्री रामदीया सिंह	फायर मैन देहरादून
6—	श्री नरेश जोशी	श्री चनद्रमणि जोशी	फायरमैन काशीपुर(उधमसिंह नगर)
7—	श्री खीमानन्द	श्री इन्द्र लाल	फायर मैन पिथौरागढ़
8—	श्री सतीश कुमार	श्री जगदीश सिंह	फायर मैन चमोली
9—	श्री मनोज सिंह नेगी	श्री डी.एस.नेगी	फायर मैन चमोली
10—	श्री अर्जुन राणा	श्री देव सिंह	फायर मैन नैनीताल
11—	श्री प्रदीप चन्दोला	श्री ए.एन.चन्दोला	फायर मैन उत्तरकाशी
12—	श्री राजेश कुमार	श्री जय प्रकाश	फायरमैन पौड़ी
13—	श्री सोवरन सिंह	श्री परशुराम सिंह	फायर मैन **बागेश्वर**
14—	श्री राजेन्द्र सिंह खाती	श्री खुशाल सिंह	एफ.एस.एस.ओ. **बागेश्वर**
15—	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री माधो सिंह	एफ.एस.एस.ओ. आर.के..एच.
16—	श्री चन्दन राम आर्या	श्री गंगा राम आर्या	फायरसर्विस, डी.वी.आर.काठगोदाम
17—	श्री दयाकृष्ण	श्री केशव दत्त	फायर सर्विस, डी.वी.आर.रानीखेत
18—	श्री सुनील सिंह रावत	श्री उमेद सिंह रावत	फायर सर्विस नैनीताल
19—	श्री बैसाख सिंह	श्री राईचन्द्र सिंह	फायर सर्विस, पौड़ी
20—	श्री अजव सिंह ।।	श्री प्रदीप कुमार	फायर सर्विस, पौड़ी
21—	श्री चरन सिंह	श्री नारायण सिंह	फायर सर्विस, पिथौरागढ़
22—	श्री रमेश चन्द्र	श्री गोवर्धन प्रसाद	फायर सर्विस, डी.वी.आर. कोटद्वार
23—	श्री कुंवर मनीष चौहान	श्री बी.एस.चौहान	फायर सर्विस, देहरादून
24—	श्री ध्यान सिंह	श्री राम सिंह	फायर सर्विस उत्तरकाशी

खोज एवं वचाव सदस्य

पी.ए.सी. बटालियन, हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर

कम संख्या	नाम	पता
1—	गुल्मनायक शिव कुमार	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
2—	गुल्मनायक, सिद्धार्थ कुकरैती	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
3—	हेड कानि. गणेश लाल	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
4—	हेड कानि. प्रवीन कुमार	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
5—	हेड कानि.	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
6—	हेड कानि. गोपाल सिंह	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
7—	हेड कानि.	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
8—	हेड कानि	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
9—	का. पूरन सिंह	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
10—	का. रविन्द्र कसाना	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
11—	का. रविन्द्र भाटी	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
12—	का. जीतेन्द्र सिंह चौधरी	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
13—	का. प्रवीण कुमार	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
14—	का. योगेश सक्सेना	40 बटा.पी.ए.सी.,हरिद्वार
15—	का. प्रेम सिंह	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
16—	का. संजीव कुमार	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
17—	का. रघुवीर सिंह	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
18—	का. मंगल सिंह	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
19—	का. रघुवीर गिरी	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
20—	का. बाली राम	31 बटा.पी.ए.सी.,उधम सिंह नगर
21—	बी.ओ. मदन मोहन पाठक	होम गार्ड नैनीताल
22—	ए.एस.आई. चन्द्र किशोर	होम गार्ड हरिद्वार
23—	एच.आई. सुरेन्द्र दत्त उंगवाल	होम गार्ड उत्तरकाशी
24—	एच.आई. दीपक कुमार भट्ट	होम गार्ड हरिद्वार
25—	एच.आई.चन्द्र कान्त विष्ट	होम गार्ड नैनीताल

जनपद के पटवारियो एंव कानूनगो की सूची

क्रम	नाम	पदनाम	स्थान
1	श्री सुरेश सिंह राठौर	पटवारी	कर्मी
2	पी. सी. गो़त्रा		आरे
3	आनंद पुरी गोस्वामी		उडियार
4	हरिश्चंद्र तिरपा		नामतीचेटाबगड
5	दया चंद्र टम्टा		भराडी
6	मदन सिंह नेगी		गरूड
7	ठाकुर सिंह किरमोलिया		बिलोरी
8	पूरन वर्मा		क्यूराली
9	कुंदन सिंह परिहार		नौंगाव
10	दीवान सिंह परिहार		अमस्यारकोट
11	सुरेंद्र कुमार		जेठाई
12	चंद्र सिंह हरकोटीया		बागेश्वर
13	सुंदर लाल		खांकर
14	मोहन सिंह भाकुनी		धिंधारतोला
15	खीमगिरि गोस्वामी		पटाली
16	दयाल चंद्र मिश्रा		कौसानी
17	देवेंद्र लोहनी		कपकोट
18	प्रवीण सिंह टाकुली		वज्यूला
19	श्याम दत्त जोशी		चौगांवछीना
20	राम सिंह नेगी		डंगोली
21	कुंवर सिंह		डंगोली
22	गिरीश चंद्र कबडवाल		पिंगलो
23	सुशील चंद्र		नदींगांव
24	गोंविद गिरि		जखेडा
25	गोपाल सिंह बिष्ट		रवाईखाल
26	अर्जुन लाल टम्टा		माजखेत
27	पूरन गोस्वामी		असौं
28	हयात सिंह		रावतसेरा
29	हरीश चंद्र		कांडे
30	मोहन सिंह नयाल		कांडा
31	रमेश राम आर्य		सानिउडियार
32	भुवन लाल वर्मा		कन्यालीकोट
33	हनीफ बेग		नामतीचेटाबगड
34	बहादुर सिंह कुमाल्टा		शामा
35	गंगा राम टम्टा	राजस्व निरीक्षक	कांडा
36	भवानी राम	ए. आर. के.	कांडा
37	नंदन सिंह मटियानी	तदैव	बागेश्वर
38	बलवंत सिंह रावत	कानूनगो	काफलीगैर
39	मोहन राम	राजस्व निरीक्षक	कपकोट
40	कुशाल सिंह कोंरगा	कानूनगो	गरूड
41	एम. सी. तिवारी	रजिस्ट्रार कानूनगो	बागेश्वर
42	लक्ष्मण सिंह	एल. आर. सी.	बागेश्वर
43	मदन सिंह अधिकारी	चैन मैन	बागेश्वर
44	रजींत सिंह	चैन मैन	कौसानी

45	गणेश लाल	एस. के.	कांडा
46	खयाली राम	चैन मैन	कांडे
47	दलीप सिंह	ग्राम प्रहरी	
48	एस. डी. तिवारी	रजिस्ट्रार कानूनगो	कपकोट

जनपद मे स्थित खोज एंव बचाव (Technical & Non-technical) का सामान

1. तहसील मुख्यालय, कपकोट, फोन 253064
2. तहसील मुख्यालय, बागेश्वर, फोन 220003
3. थाना बैजनाथ, गरूड,फोन 250009
4. थाना काफलीगैर, फोन 255022

भाग–7

Part- VII

स्वंयसेवी संगठन एवं सामुदायिक सहाभागिता के क्षेत्र

NGO’S &AREA’S OF COMMUNITY PARTICIPATION

स्वंय सेवी संगठन

स्वंयसेवी संगठन अपने समर्पित कार्यकर्ताओं एवं क्षमता के अनुरूप आपदा प्रबन्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिये ये संगठन किसी भी आपातकालीन स्थिति में खोज एवं वचाव, राहत, सूचनाओं के आदान प्रदान एवं अन्य कार्यों में जिलाअधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। यह संगठन जिला आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना के एक इकाई के रूप में प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हुये कार्य करेंगे।

सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र–

दुर्घटना उपरान्त प्रभावित लोगों का आत्मविश्वास बड़ाने हेतु स्थानीय संसाधनों का भरपूर उपयोग करने हेतु एवं अन्य कार्यों में समुदाय के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी। समुदाय एवं जनप्रतिनिधयों की भागीदारी निम्न क्षेत्रों में सुनिश्चित की जायेगी।

आपदा पूर्व निकास के दौरान–

1–सम्पूर्ण सुरक्षा एवं कानून ब्यवस्था को ध्यान में रखते हुये आपदा पूर्व निकास जनप्रतिनिधियों एवं स्वंयसेवी संगठनों की सहायता से एक साथ किया जायेगा।
2–यातायात के अपर्याप्त साधन होने की दशा में एवं अन्य कोई घटना घटित ना हो इस लिये सबसे पहले गम्भीर बीमार लोगों को, उसके बाद बच्चे, महिलायें एवं अपंग लोगों को तथा बाद में बूढ़े लोगों को निकाला जायेगा।
3–किसी भी आपातकालीन निकासी के दौरान प्रत्येक परिवार अपने साथ 2 से 3 दिन का पानी, खाना, कपड़े, पहचान पत्र, महत्वपूर्ण कागजात, डायरी तथा अन्य सामान रखे ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।
4–घर छोड़ने से पूर्व प्रत्येक ब्यक्ति मुख्य स्विच से पानी, गैस एवं विजली बंद करे, ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

आपदा के दौरान–

1–प्रत्येक ब्यक्ति संयम एवं धैर्य रखे।
2–प्रत्येक ब्यक्ति सुरक्षित स्थान में रहे एवं चोटों से स्वंय को वचाये।
3–टूटी तथा खतरनाक इमारतों में प्रवेश ना करे।
4–विजली के पोलों एवं तारों को ना छुऐ।
5–टेलीफोन का इस्तेमाल फालतू ना करे।
6–घायलों का ध्यान रखे किन्तु उन्हैं हिलाये नहीं।
7–प्राथमिक उपचार करे।
8–राहत कार्यों में बाधा ना डाले।

सहायता एवं पुर्नवास के दौरान–

किसी भी आपदा के पश्चात समुदाय आधात की स्थिति में होता है। इसलिये आघात की स्थिति से उबरने के लिये राहत एवं पुनर्वास के दौरान समुदाय के प्रत्येक ब्यक्ति की भागीदारी हो ऐसा सुनिश्चित किया जायेगा।

जनपद में स्थित प्रमुख स्वंयसेवी संगठनों की सूची

संस्था का नाम	प्रतिनिधि
1–हिमालयन जन कल्याण समिति कठायतवाड़ा, बागेश्वर	श्री धीरेन्द्र सिंह महरा फोन–9411306762
2–लोक चेतना मंच गरूड़	श्री हरीश जोशी फोन. 250051
3–हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर टास्क ऑर्गेनाइजेशन कठायतवाड़ा, बागेश्वर	श्रीमती उमा विष्ट
4–कसार ट्रस्ट मनकोट बागेश्वर	श्री माधवानन्द पंडा
5–ग्रामीण उत्थान समिति कपकोट	श्री उमेश जोशी
6–हिल वैलफेयर सोसायटी गरूड़	श्री महेश पाण्डे
7–दि हिमालयन ट्रस्ट गढ़सेर, गरूड़	श्रीमती चेतना मिश्रा फोन– 250120
8–भ्रामरी ग्रामोद्योग समिति बज्यूला, गरूड़	श्रीमती रेखा सुयाल फोन– 250490
9–हितेषी संस्था देवनाई, गरूड़	श्री किशन राणा फोन–250405
10–हिमालया अंगूरा समिति मटेना गरूड़	श्री चन्द्रशेखर जोशी फोन–250214
11–पर्वतीय नवजागरण समिति गरूड़	श्री राजेन्द्र जोशी
12–गो.धा.ज.वि. समिति मैगड़ीस्टेट गरूड़	श्री इन्द्र सिंह रावत फोन– 280587
13 चिराग संस्था देवलधार बागेश्वर	श्री आर.एस.नेंगी फोन 282125 9412036654

भाग– 8

Part VIII

जनपद के अधिकारीगण

DISTRICT OFFICIALS

जनपद के अधिकारीगण एंव जनप्रतिनिधियो के दूरभाष

	कार्यालय	आवास	मोबाईल
जिला प्रशासन			
1. जिला अधिकारी	220763	220330	9412094506
2. उपजिला अधिकारी सदर	220024	220386	9412996322
3. उपजिला अधिकारी कपकोट	253064	253095	
4. उपजिला अधिकारी गरूड	250107		
5. उपजिला अधिकारी कांडा	241243		
6. तहसीलदार बागेश्वर	220003		
7. तहसीलदार कपकोट	253196		
8. तहसीलदार गरूड	250107		
9. तहसीलदार कांडा	241243		
10. तहसीलदार काफलीगैर			
पुलिस विभाग			
1. पुलिस अधीक्षक	220382	220327	
2. पुलिस उपाधीक्षक	220381	220384	
3. पुलिस कट्रोल रूम	100		
4. पुलिस हेल्प लाईन	220100		
5. निरीक्षक थाना बागेश्वर	220017		
6. निरीक्षक थाना बैजनाथ	250009		
7. निरीक्षक थाना काफलीगैर	255022		
ग्राम्य विकास विभाग			
1. मुख्य विकास अधिकारी	221858	220524	
2. परियोजना निदेशक	220570		
3. परियोजना अर्थशास्त्री			
4. खंड विकास अधिकारी बागेश्वर	220055		
5. खंड विकास अधिकारी कपकोट	254015		
6. खंड विकास अधिकारी गरूड	250051		
वन विभाग			
1. प्रभागीय वनाधिकारी	220249		
2. उप प्रभागीय वनाधिकारी			
स्वास्थय विभाग			
1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	221026	221538	
2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	220136		
नगर पालिका			
1. अधिशासी अधिकारी	220330		
शिक्षा विभाग			
1. जिला शिक्षा अधिकारी	220417	220802	
2. अपर जिला शिक्षा अधिकारी	220653	221100	
लोक निर्माण विभाग			

1.	अधिशासी अभियंता	220006	220082
2.	सहायक अभियंता		

सिंचाई विभाग

1.	अधिशासी अभियंता	220008	220020
2.	सहायक अभियंता		
3.	सहा. अभि. लधु सिचांई	220051	

जल संस्थान

1.	अधिशासी अभियंता	220038
2.	सहा. अभियंता	

पेयजल निगम निर्माण

1.	अधिशासी अभियंता	220043
2.	सहा. अभियंता	

विद्युत विभाग

1.	अधिशासी अभियंता	221262
2.	सहा. अभियंता	220037
3.	सहा. अभियंता	

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा

1.	अधिशासी अभियंता	221297
2.	सहा. अभियंता	

जलागम विभाग

1.	सहायक निदेशक	220012

पशु चिकित्सा विभाग

1.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	
2.	पशु चिकित्साधिकारी	

पूर्ति विभाग

1.	जिला पूर्ति अधिकारी	221180

अग्निश्मन विभाग

1.	अग्निश्मन अधिकारी	220101

अन्य विभाग

1.	जिला सूचना अधिकारी	221011
2.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	221334
3.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	221515
4.	जिला पंचायतराज अधिकारी	
5.	जिला अर्थ एंव सांख्यकि अधिकारी	220527
6.	जिला उद्यान अधिकारी	221336
7.	जिला पर्यटन अधिकारी	221562
8.	कोषाधिकारी	
9.	परियोजना अधिकारी उरेडा	221325
10.	परियोजना प्रबधंक स्वजल	

11. जिला आबकारी अधिकारी 220108
12. प्रभारी जिला सूचना विज्ञान केंद 221509
13. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत 220784

जन प्रतिनिधि

1. ससंद सदस्य
2. विधायक बागेश्वर
3. विधायक कपकोट
4. विधायक कांडा
5. अध्यक्ष जिला पंचायत
6. अध्यक्ष नगर पालिका
7. ब्लाक प्रमुख बागेश्वर
8. ज्येष्ठ उपब्लाक प्रमुख
9. ब्लाक प्रमुख कपकोट
10. ज्येष्ठ उपब्लाक प्रमुख
11. ब्लाक प्रमुख गरूड
12. ज्येष्ठ उपब्लाक प्रमुख